AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी हस्तक्षेप

ORIGINAL ARTICLE

Author
उमाशंकर कॉंत
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

विश्व में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के विकास के साथ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा चिंता का विषय है। भारत को स्वतंत्र हुए लगभग 75 वर्ष हो गए किन्तु घर में एक महिला आज भी गुलाम बनकर जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। भारत में गुलामी की अवधि में सामाजिक स्थितियां क्रमशः बिगड़ती गयी और परतंत्रता की मानसिकता ने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियों को इस प्रकार चरितार्थ किया– हम कौन थे, क्या होंगें और क्या हो रहें हैं? विकास यात्रा में देश में महिलाओं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यताओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन की सुगबुगाहट परिलक्षित है। लेकिन इस विशाल और अनगिनत विविधता वाले देश में इस परिवर्तन का अंश नगण्य ही है। संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार दिए हैं, अत्याचारों से दबी उनकी दयनीय जीवन स्थितियां को रूपांतरित करने और सामाजिक आर्थिक तथा विधिक पहचान बनाने के लिए सरकार ने अनेक कानून पारित किए हैं, कई योजनाएं बनाई है, किंतु इसकी दशा एवं विकास आज भी चिंतनीय है।

मुख्य शब्द

महिला, संविधान, विकास, अधिकार.

प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व नारियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। नारियों के साथ शोषण, तिरस्कार होना ये बातें बहुत आम थीं। समाज में कई प्रकार की रूढ़िवादी मान्यताओं ने जन्म लिया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि जिसका सबसे बड़ा कारण महिलाओं का पिछड़ापन, पुरूषों के बंधन में जकड़ा हुआ होना एवं अशिक्षा थी। देश में कुछ लोग खासकर राजस्थान में कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। एक स्त्री को बचपन में पिता के दबाव में, जवानी में पति एवं वृद्धावस्था में पुत्र के दबाव में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना होता था। झूठी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर स्त्री को सदैव दोषी, अछूत, कमजोर बताया जाना आम था, फिर चाहे वह धर्म सनातन हो या इस्लाम धर्म। स्त्री को मारना, डराना, धमकाना, नीचा दिखाना और घर में बंदी बनाकर रखना पुरूष प्रधान समाज की प्रवृत्ति बन गया, आज बदलाव के दौर में परिवर्तन के नाम पर दिखावा किया जा रहा है, जहां एक महिला आज भी परेशान है। जहां समाज ने तरक्की कर ली है तो अब मुजरिम भी अपराध को तकनीकी तरीकों से अंजाम देने में पीछे नही हैं।

विवशता तो यह है कि, यहां सिर्फ पुरूषों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। महिला, महिलाओं की जिंदगी

तबाह करने में अहम भूमिका निभा रहीं है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, परेशान एक महिला ही हो रही है। स्वतंत्रता भारत में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा सुधार अभियान को गतिशील बनाने का प्रथम अवसर संविधान से प्राप्त हुआ। भारत के संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ एवं स्वतंत्र रूप से नागरिकों की सेवा के लिए प्रभार में आया। संविधान की उद्देशिका में यह वर्णित है, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना लिंग भेद–भाव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय एवं विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन दिया गया है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू का कहा गया प्रसिद्ध वाक्य है, कि ''लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना बहुत जरूरी है।'' संविधान के अनुच्छेद–14 में कानूनी समानता या समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना वर्णित है। अनुच्छेद 39(घ) में पुरूषों एवं स्त्रियों में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। अनुच्छेद–42 महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्ति का अधिकार वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 51क(5) में भारत में सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो एक स्त्री के सम्मान के विरूद्ध हो, इसी तरह संविधान में कई अनुच्छेद है जिसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान वर्णित हैं।

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं के लिए बने कानून जिसमें दहेज प्रथा, दहेज मृत्यु, बलात्कार, यौन अपराध इत्यादि कानून जो महिलाओं के लिए एवं उनके बचाव के लिए ही निर्मित हुए हैं। इस तरह कई कानून बने हैं और बहुत से कानूनों में संशोधन भी हुए हैं भारत में घटित निर्भया हत्याकांड के बाद POSCO ACT निर्मित किया गया जिसका पूरा नाम Protection of Children from Sexual Offences Act है। कहने का तात्पर्य यह है कि, इन कानूनों के तहत् महिलाओं को सुरक्षा मिल सकती है, इसी कड़ी में सरकार और समाज दोनों ने महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्य की रक्षा के लिए कई अधिनियम बनाये गए हैं। इन अधिनियमों और कानूनों के होने के बावजूद स्थिति विपरीत होती जा रही है और ये नियम कानून सिद्धांत बनकर रह गए हैं। वर्तमान में ही एक नया कानून सब के समक्ष आया, जिसे मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के नाम से जाना गया। लोकसभा द्वारा 25 जुलाई 2019 को पारित हुआ, जिसे बोल–चाल की भाषा में तीन तलाक कानून के नाम से भी जाना जाता है। NCRB की एक रिपोर्ट को यहां ग्राफ के द्वारा दर्शाया जा रहा है, जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि, महिलाओं के खिलाफ किस हद तक और किस राज्य में अपराध दर्ज किए जा रहें हैं। हमारे भारत वर्ष में महिला अपराध में पहले स्थान पर उत्तर–प्रदेश राज्य हैं, जहां वर्तमान में भाजपा सरकार सक्रिय है।

भारत में सबसे ज्यादा महिला अपराध उत्तर–प्रदेश में होते हैं, जहां वर्ष 2014 के बाद से वर्ष 2021 में महिला अपराध में इतना उछाल आया है। उत्तर–प्रदेश की 80 प्रतिशत आबादी गांव में बसी है। अपराध का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा व बेरोजगारी है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार अपराध के आंकड़ों को ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। NCRB ने 2020 के आंकड़े दर्शाये हैं जिसमें देश में वर्ष 2019 में कुल 4, 05, 326 एवं 2020 में कुल 3,71,503 महिलाओं से संबंधित अपराध दर्ज हुए हैं।

महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए अपराध

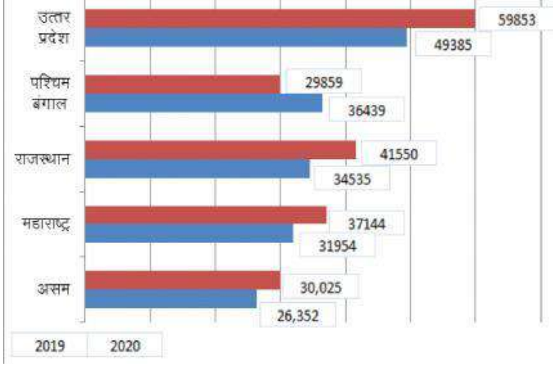

Source : NCRB- देश में– ▪ 4,05326 (2019) ▪ 3,71,503 (2020)

ISSN : 2583-3189 (E), 2583-0775 (P)
Year-03, Volume-03, Issue-01

उद्देश्य

- सर्वप्रथम महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना एवं आत्म–निर्भर बनना।
- ग्राम में बेटों की तरह बेटियों को भी अच्छे स्कूल से शिक्षा प्राप्त करवाना।
- लैगिक भेदभाव को शून्य करना।
- करियर, शिक्षा, शादी–विवाह, नौकरी ये सभी फैसले लड़की स्वयं ले सके, उसे इतनी स्वतंत्रता देना।
- दहेज लोभियों का सामाजिक तौर पर बहिष्कार करना एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान चलाना।
- महिलाओं की मानसिकता बदलने के लिए हर शहर के हर वार्ड में महिला परामर्श केन्द्र की स्थापना करना।
- गरीब व असहाय व बुजुर्ग नारियों को हर महीने निःशुल्क, उनके जरूरत का सामान उपलब्ध कराना।
- एक स्त्री को अपने हिसाब का खाना, कपड़ा, रहना एवं घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करवाना।
- महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधान कर कम से कम 12वीं तक शिक्षा अनिवार्यतः प्रदान किया जाना चाहिए।

ग्राफ का विश्लेषणः (महिला अपराध में सरकारी हस्तक्षेप की सक्रियता/निष्क्रियता)

पिछले पृष्ठ पर देश के कुछ राज्यों में NCRB के द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों या महिलाओं पर हो रहे अपराधों को दर्ज किया गया है, जिसे ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। NCRB की रिपोर्ट वर्ष 2019 एवं 2020 को दर्शा रही है जिसमें अव्वल स्थान उत्तर–प्रदेश ने प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019, 2020 में भाजपा की शासन थी, यू.पी. के शासन का कार्य, योजना/कानून इस ग्राफ के द्वारा ही प्रतीत हो चुका है। महिलाओं के लिए कानूनों की कमी नहीं है, उसके बावजूद अपराधी के अंदर डर का नहीं होना साफ प्रतीत हो रहा है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम जैसे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में महिला अपराध का मामला बढ़–चढ़कर सामने आ रहा है। सरकारी योजनाएं अखबार और भाषणों तक ही सीमित हैं? या सच में इनका पालन हो रहा है, इस ग्राफ को देखा जाए तो सरकार पर कई सवाल उत्पन्न हो रहें हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जहां रक्षाबंधन पर मुफ्त में सफर करने की छूट दी गई है, वहीं महिलाओं का सुरक्षित होना भी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश सरकार क्या सिर्फ मीडिया, अखबारों और सोशल मीडिया पर ही तारीफें बटोर रहीं हैं या इसकी जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है, यह बात NCRB के आंकड़ों से साफ प्रतीत है। प्रस्तुत शोध विषय से संबंधित कुछ शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, महिला स्वयं सेवी संगठन, पुलिस, अधिवक्ता, ऐसे लोगों से साक्षात्कार के दौरान कुछ सवाल हमारे समक्ष आते हैं, जिन प्रश्नों पर ऐसे उत्तरदाताओं के कुछ मत है, जो इस प्रकार हैंः–

प्रश्नः क्या आपको महिलाओं से संबंधित निर्मित कानूनों की जानकारी है, जो कि राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित है?

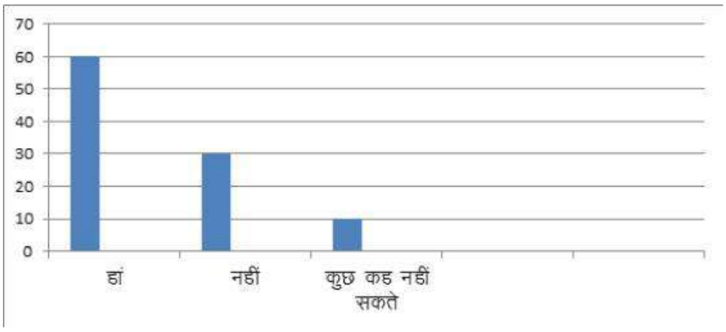

विश्लेषणः प्रस्तुत ग्राफ से यह स्पष्ट होता है, कि 60 प्रतिशत उत्तरदाता यह कहते हैं, कि उन्हे महिला से संबंधित निर्मित कानूनों का पता है, जो कि राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गए हैं। 30 प्रतिशत यह कहते हैं, कि उन्हे नहीं मालूम क्यूंकि वह अशिक्षित हैं एवं 10 प्रतिशत उत्तरदाता यह कहते हैं कि, वह इन सवालों पर अनभिज्ञ हैं।

महिलाओं के सराहनीय कार्यः भारतीय महिलाओं ने पिछली कुछ सदी में कई बड़े बदलाव का सामना किये हैं। प्राचीन काल में पुरूषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीनकाल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिये जाने तक, भारत का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वर्तमान में आदिवासी समाज की पहली महिला राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु, प्रथम प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी, पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम महिला आई.पी.एस. किरण बेदी, राज्यपाल सरोजनी नायडु, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी एवं फिल्म जगत की नायिकाएं, जैसे रेखा, जया प्रदा, हेमा मालिनी, जया बच्चन, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, विद्या बालन आदि महिलाएं जो शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। 21वीं सदी में सुनिता विलियम्स, कल्पना चावला, विज्ञान के वर्तमान दौर में ई.के. जानकी, अमल असीमा चक्रबती, अर्चना शर्मा ने भी सराहनीय कार्य किया। खेल जगत में साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, मेरीकॉम, पी.वी. सिन्धु जैसे महिलाओं ने भारत का नाम रौशन किया है।

महिलाएं कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद, महिला साक्षरता, जैसे मुद्दों पर एक जुट हुई, चूंकि शराब की लत को अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जोड़ा जाता है। महिलाओं के कई संगठनों (एन.जी.ओ.) ने इसे संभव बनाया। इसे बंद कराने के लिए महिलाएं आगे आयी। 2021 में महिलाओं की सशक्तिकरण नीति पारित की गई। 1879 से लेकर 2020 तक अनेक महिलाओं के उदाहरण है जो हर क्षेत्र में पारंगत हैं एवं अपने दम पर इतिहास रच रही हैं।

केन्द्र व छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा हेतु कई कानून बनाये हैं जिनमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। महिलाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गए कुछ अधिनियम इस प्रकार हैः–

क्र.	केन्द्र सरकार	छत्तीसगढ़ सरकार
01.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961	छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007
02.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961	छत्तीसगढ़ किशोर न्याय (बालको की देख–रेख और संरक्षण नियम, 2006)
03.	गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971	छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005
04.	समान पारश्रमिक अधिनियम 1976	छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004
05.	स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1994	छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम 2006
06.	गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994	
07.	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005	
08.	बल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006	
09.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (Pocso Act)	

अधिकार

01. समान वेतन का अधिकार।
02. कार्यस्थल पर हुए उत्पीड़ना के खिलाफ अधिकारी।
03. नाम न छापने का अधिकार।
04. मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार।
05. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार।
06. मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार।
07. रात में गिरफ्तारी नहीं होने का अधिकार।
08. गरिमा एवं शालीनता के लिए अधिकार।

केन्द्र व छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कई कानून एवं अधिनियम बनाये गये हैं, जो कि महिलाओं की सुरक्षा व अधिकार के लिए प्रमुख तौर पर है। हर एक अधिनियम पर अपराध के लिए सजा एवं जुर्माना है। दहेज से जुड़े कानून, पति–पत्नी विवाद या अन्य कानूनों में सजा व जुर्माना का प्रावधान है। महिलाओं के खिलाफ घट रहे अपराधों के लिए इतने कानून होने के बावजूद महिला आज भी असुरक्षित है। महिला शिक्षित है, सशक्त है, किंतु सुरक्षित आज भी नहीं है, इन सभी कानूनों और अधिनियमों के बनने के बाद क्या हमारे संविधान में कोई भी ऐसा कानून है, जो कड़ा हो ? जिससे अपराध करने से पहले अपराधी डर जाए। अन्य देशों जैसे सउदी अरब, इंडोनेशिया, अमेरिका, नाइजीरिया की ही तरह क्या भारत को भी एक कड़े कानून की आवश्यकता नहीं है? क्या इस बारे में हमारी सरकारें कोई निर्णय ले पा रही हैं? इन सवालों के घेरों मे है, हमारी राज्य और केन्द्र सरकार। जहां कानून तो बनते हैं संशोधन भी होते हैं लेकिन अपराधियों को स्वागत फूलों की माला डालकर की जाती है।

निष्कर्ष

महिलाओं की इतनी उपलब्धियों के बावजूद हमारे विशाल देश में ऐसी महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा नहीं है। यह दुख सत्य है, भूमंडलीकरण के कारण उच्चवर्ग तथा उच्च वर्ग में मौजूद तथाकथित 'पेपर वुमेन' समाज, समाज की बहुसंख्यक आम औरतों से नितांत भिन्न है, वे बहुसंख्यक औरतें अब भी अशिक्षा, अज्ञान और गरीबी से मुक्त नहीं हुई है। पितृसत्तात्मक समाज के महौल में पलने के बतौर औरतें कई तरह की मानसिक, अन्य विकारों से पीड़ित है, जिनसे स्वयं मुक्त होकर उन्हे अपनी दिशा तय करनी है। सरकार का हस्तक्षेप महिला स्थिति को सुधारने में होना, न कि अपराधियों को सजा मुक्त करने में। फिलहाल स्त्री आन्दोलनों को, स्त्री समाज में व्याप्त असमानताओं और खामियों को उखाड़ने के लिए संघर्षरत रहना पड़ेगा।

संदर्भ सूची

01. सक्सेना वंदना (2013), *महिला का अधिकार व संसार,* मनीषा प्रकाशन दिल्ली।

02. छत्तीसगढ़ राज्य के सखी केन्द्र द्वारा गाइडलाईन (2017), महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने वाले कानून।

03. भारत का राज पत्र, महिला एवं बाल विकास अधिसूचना, 17 अक्टूबर 2006 भाग– II, खण्ड–3, उपखंड–II

04. मुखर्जी गीतांजली, (2006), *डॉवरी डेथ इन इंडिया,* इंडियन पब्लीकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–98।

05. चंदेल धर्मवीर, (2014) *मानव अधिकार और महिला विमर्श,* पाइन्टर पब्लिकेशन दिल्ली।

––==00==––